was considered. We came to the conclusion that the banning of the book was not called for. It would give unnecessary publicity to the book. Later on, one of the members of the Planning Commission made a request that the Encyclopaedia Britannica organisation should be told to strike out these books from the list of additional readings. Everything was considered. We came to the conclusion that we could await till the reply came from the organisation to the Ramakrishna Mission and then decide if anything further needs to be done or not.

MR. CHAIRMAN: I think the reply given by the hon. Minister is quite sufficient. Honourable Members need not put more supplementaries and give wide publicity to an unwanted thing.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We entirely agree with you.

*463. [The questioner (Shri Prakanta Warisa) was absent. For answer vide page 28 infra.]

PM's offer for resolving inter-state dispute

*464. SHRI SUKHDEV SINGH LIBRA: SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Prime Minister during his visit to Punjab and Haryana in the first week of March, 2001 had offered direct intervention to resolve the long pending inter-State disputes of the Northern States:
 - (b) if so, the details thereof; and
 - (c) the efforts made by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): (a) to (c) Speaking on the occasion of inauguration of Ranjit Sagar Dam at Pathankot on the 4th of March, 2001, the Prime Minister noted that the Union Government was willing to act as facilitator if Punjab, Haryana and Himachal Pradesh sit down together to come to a mutual agreement regarding the river waters. In the course of a speech on 6th of March, 2001 at Kurukshetra, the Prime Minister suggested that

Haryana, Himachal Pradesh, Delhi and Punjab could evolve a coordinated policy for the use of water resources.

The Government of India have been making efforts to convene a meeting of the Chief Ministers of Punjab, Haryana and Rajasthan to discuss the outstanding water related issues between these States, in an endeavour to arrive at an amicable settlement.

The stand of Government of India has consistently been that inter-State disputes can be resolved only with the willing cooperation of the States concerned in a spirit of mutual accommodation and understanding and that the Central Government will act as a facilitator in the process.

श्री सुखदेव सिंह लिक्राः माननीय चेयरमैन साहब, मुझे बहुत खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने बहुत लम्बे अरसे से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाने का साहसिक फैसला किया है। लेकिन स्टेटमेंट पढ़कर मेरा मन दुखी होता है कि जब यह फैसला हो चुका है कि हरियाणा और पंजाब को 60 और 40 के परसेंट से सारा सामान बांट दिया जाए तो इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? इसको कब तक खत्म करने का सरकार का बिचार है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: चेयरमैन साहब, सरकार की हमेशा यह पालिसी रही है कि जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं, उनका फैसला कंसर्न स्टेट आपस में बैठकर करें, ले-देकर करें। उसमें केन्द्रीय सरकार ज्यादा से ज्यादा फैसिलीटेटर का काम करे, जहां जरूरत है वहां उनका आपस में समझौता कराने में मदद करे। यही बात प्रधान मंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में और जब वह मार्च में पंजाब गए थे, दोनों जगह पर कही थी। प्रधान मंत्री जी ने यही बात कही है कि दोनों नादर्न इंडिया की जो स्टेट्स हैं या कहीं भी जो स्टेट्स हैं, उनके जो झगड़े हैं, उनका फैसला वह आपस में करें। अपने मसलों के हल के लिए पंजाब और हरियाणा आपस में बैठें। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, ये झगड़े उनके आपस के चल रहे हैं और उनके समाधान के लिए उनकी आपस में बातचीत होती रहती है। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, यह बात ठीक है।

श्री सुखदेव सिंह लिक्रा: महोदय, जब पंजाब और हरियाणा दोनों में एन॰डी॰ए॰ की सहयोगी सरकारें हैं तो जिस तरह से फैमिली का मुखिया होता है, उस नाते क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उनको इकट्ठा बिठाकर बातचीत करके कोई फैसला करें? वहां फैसला करने में इतना समय लग रहा है, लोगों को भरमाया जाता है। पंजाब वाले कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे, चंडीगढ़ लेकर रहेंगे और हरियाणा वाले कहते हैं कि पानी नहीं छोड़ेंगे, चंडीगढ़ नहीं देंगे। तो पंजाब की इस तकलीफ को कैसे दूर किया जाएगा और इस समस्या का हल कैसे निकलेगा?

श्री ईश्वर व्याल स्वामी: चेयरमैन सर, मैं अपने पहले जवाब को रिपीट करूंगा कि आखिरकार यह मसला ऐसा है कि सैंटर डायरैक्टली ऐक्टिवली, बहुत ज्यादा प्रोऐक्टिव होकर इंटरिफयर नहीं कर सकती। इन बातों को दोनों स्टेट्स को मिलकर सुलझाना होगा। जहां तक पंजाब और हरियाणा का ताल्लुक है, बहुत सारे डिसप्यूट्स थे और तकरीबन सभी डिसप्यूट्स 60 और 40 के बेसिस पर सैटल हो चुके हैं। एक वॉटर का डिसप्यूट एस॰वाई॰एल॰ का है और दूसरा चंडीगढ़ का टैरीटोरियल डिसप्यूट है। कुछ हरियाणा वाले मांगते हैं और कुछ पंजाब वाले चंडीगढ़ मांगते हैं। यह दो डिसप्यूट है। पानी के मामले में तो हरियाणा गवनेमेंट ने सुखीम कोर्ट में भी सूट फाइल किया हुआ है, वहां भी पैंडिंग है। लेकिन माननीय सदस्य की दोनों बातें सही हैं कि दोनों के मुख्य मंत्री ऐसे हैं जो सैटर की सरकार के साथ है, एन॰डी॰ए॰ के पार्टनर भी हैं तथा आपस में मित्र भी हैं। उनसे कहा गया है, उनको प्रेरणा दी गयी है कि वे आपस में बैठकर बात करें और उन्होंने कहा भी है कि हम आपस में बात करके समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, it is unfortunate that this very long-standing dispute in North India between Punjab and Haryana has not yet been resolved despite many efforts. It is not only Punjab and Haryana that are involved. Himachal Pradesh is also involved. Ultimately, Delhi is also involved in the Haryana water situation. The hon. Minister, in his answer, says that the Government of India have been making efforts to convene a meeting of the Chief Ministers. What does that mean? Surely, it is open to the Government of India and the Prime Minister to invite them here for a meeting. Are very great efforts required to being the Chief Ministers together? It is a very curious and ambiguous statement. Will the Government say categorically that they will call the Chief Ministers concerned and they will take an active role in trying to solve this long pending issue?

SHRI I. D. SWAMI: I agree with the hon. Member. The phraseology has not been proper. The words have not been properly used. There, I can agree. But the spirit is that the Government of India has been persuading them. Even at Kurukshetra, the Prime Minister specifically told the Chief Minister of Haryana that a fruitful meeting should take place; and if they liked, they could invite us, the Government of India, and one of us would come there.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I think the hon. Minister is adding to the confusion because, first, he said that the Government does not want to take a pro-active role. But this problem is such, as everybody is fully aware, that we cannot simply leave it to be sortedout between the two States. Both the State political authorities are subjected to so much of pressure. From experience, we are seeing that an effective intervention of the Union Government is called for where they cannot only play the role of a facilitator, but, sometimes, also of an arbitrator. Therefore, instead of shunning away from taking a pro-active responsibility, I most respectfully submit, the Government should play a pro-active role, of course, not in favour of a particular State so that they can maintain their neutrality. Otherwise, if it is simply left to them—it may be a wishful thinking—nothing will materialise. Water is such a sensitive issue that everybody would like to get a little more share. Therefore, the pressure from the people on the political authorities of the States concerned will mount. I would not like to give examples. All the Members are fully aware of them. Therefore, what the Prime Minister has stated both at Kurukshetra and other places should be followed up by not merely playing the role of a facilitator or onlooker, but a little pro-active role also.

SHRI L.K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir, the Central Government is not an on-looker in this matter. Though we are aware that these disputes as well as other inter-State disputes in other parts of the country have been dragging for many, many years, it is difficult. But I take cognizance of what the hon. Member said and I would regard it as a wish of this House that the Government of India play a more pro-active role in this regard to see that this matter is sorted out.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Thank you.

SHRI KULDIP NAYYAR: Sir, this is a fact that the three States, that is, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh are all members of the National Democratic Alliance, that is, the Ruling Alliance, and all of the them are there. Don't you think that the Prime Minister or the Government have to pursue this matter seriously and diligently so that some kind of a solution can be found?

What is happening now is that, a lot of water, which should have been utilized in India, is going to Pakistan for the last so many years. Further, I think today is the opportune time when we can decide the future of Chandigarh also. These are my thoughts, and I thought that the Minister might react to it.

SHRI L. K. ADVANI: I appreciate what the hon. Member has said, and I may even point out that this issue has been raised not merely because I have responded positively to what Pranab Mukherjee has said, not merely because both Punjab and Haryana happen to be ruled by the parties which are part of the NDA. Even if they were not, I think the Central Government has to play a proactive role. We did it in the case of Cauvery, where there were different parties in different States, and though, for all these years, for many decades, one party has been in office at the Centre and in all the States, the problem has been a difficult one. It is by taking that into cognizance that the first response was given by the Minister of State, that essentially, we can play a facilitating role. It would be for the States concerned to see that some kind of an ageement is arrived at. Even so, I think, we would be willing to perform the proactive expectation.

श्री बनारसी दास गुप्तः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह अत्यंत ही गंभीर प्रश्न है। हरियाणा, पंजाब के बीच यह समस्या बहुत पुरानी है। बड़ी गंभीर है। केन्द्रीय सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए सभापति जी, अगर हरियाणा के मुख्य मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री बैठकर कोई बात करके मीटिंग नहीं बुलाते और प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना नहीं करते कि इसको सुलझाया जाए तो क्या यह मामला इस तरह गंभीर बनकर पड़ा रहेगा? पंजाब और हरियाणा में यह मामला पोलिटिकल मामला बन गया है। जब भी कोई चुनाव होता है, सभी पार्टियां खड़ी होकर कहती हैं कि यदि हमें वोट देकर कामयाब बनाओगे, कभी हरियाणा कहता है कि मैं पानी लेकर रहूंगा, पंजाब का कैंडिडेट कहता है कि मैं एक रती पानी नहीं दूंगा। यह ऐसा पोलिटिकल मामला बना हुआ है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि इस ओर विशेष ध्यान दे।

सभापित जी, मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यमुना-सतलुज लिंक कैनाल को बनाने में केन्द्रीय सरकार ने भी सैंकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया है और वह कैनाल बंद पड़ी है। केन्द्रीय सरकार ने तो पैसा खर्च किया है इस प्रोजेक्ट में निर्माण के लिए और वह बिलकुल बंद पड़ी है, तो क्या केन्द्रीय सरकार का फ़र्ज नहीं बनता इस बात की ओर ध्यान देने का, इस समस्या को हल करने का? मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस ओर ब्रिशेष ध्यान देकर प्रधान मंत्री जी को इस मामुले को अपने हाथ में लेना चाहिए और दोनों सरकारों के मुख्य मंत्रियों को बुला कर इसका हल निकालना चाहिए। इसमें केवल हिमाचल नहीं, राजस्थान भी इसके साथ संबंधित है। चार प्रदेशों का यह मामला है, तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं केन्द्रीय सरकार से कि इस समस्या को जल्दी हल करना चाहिए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पहले ही इसके बारे में कह दिया है कि ऑल प्रोऐक्टिव ऐल अदा करेगी केन्द्रीय सरकार और प्राईम मिनिस्टर साहब भी इसमें पर्सनल ईटरेस्ट लेंगे। इसमें कोई दो स्वयः नहीं कि राजस्थान, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, चारों स्टेट्स का यह मुद्दा है और यह भी सही- बात है कि जो ऑनरेबल एम॰ पी॰ ने कही है कि तकरीबन पांच सौ करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेसिलिटेट करने के लिए तािक यह मुद्दा खत्म हो जाए जहां तक नहर बनाने का ताल्लुक था, नहर के कंस्ट्रक्शन पर लगाया है। तो इसिलए नहर चल पड़े, ये जो मुद्दे हैं, जैसा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा है कि ये डिफिकल्ट मुद्दे ज़रूर हैं, बहुत सालों से लटक रहे हैं लेकिन जिस तरह कावेरी का मुद्दा हल किया, इसी तरह इस मुद्दे को भी हल करने के लिए और ज्यादा इफैक्टिव मेज़र्स लेकर, और ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट लेकर केन्द्रीय सरकार आपका जो सजेशन है, पूरे हाऊस की जो स्पिरिट है, उसको सामने रखते हुए, उसके मृतािबक कार्यवाही करेगी।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः सर, श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि तजुर्बे के आधार पर जो प्रश्न का उत्तर आ रहा है इससे साफ जाहिर है कि पंजाब और हिरयाणा के जो आपसी मुद्दे हैं ये न वह सरकार की चिंता पर है और न अकाली दल की चिंता पर, सीधी बात है। मैं एक बात और कहता हूं कि ये पंजाब और हिरयाणा के मुद्दे नहीं बिल्क देश के मुद्दे हैं ... (व्यवधान)... मैं कभी टोका-टाकी नहीं करता हूं। ये मुद्दे देश के हैं। इनसे एक बात उभारी गई है जिसकी मैं निन्दा करता हूं कि सिखों से केन्द्र वितकरा कर रहा है। यह बात इन मुद्दों को लेकर उभारी गई। इन्हीं चीजों को नीचे करने के लिए केन्द्र सरकार का राजीव-लौंगोवाल एग्रीमेंट हुआ, जो इस हाउस में और उस हाउस में पास किया गया। ये मुद्दे केवल हरियाणा और पंजाब के मुद्दे नहीं है। सिखों की फौज में कम की गई भर्ती, यह भी एक मुद्दा है। दिल्ली में पंजाबी भाषा लागू करना, यह भी एक मुद्दा है। मैं पूळना चाहता हूं (व्यवधान)... मैं माननीय गृह मंत्री जी से मुछना चाहता हूं कि क्या जिन बातों को लेकर ये मुद्दे उभरे, धर्म युद्ध लौंगोवाल के मातहत चला और बादल जी जेल गए। उन्होंने संविधान फाड़ा, बंगला साहब गुरुद्वारे में, बादल

साहब ने खुद संविधान को आग लगाई तो क्या ये इनके जेहन में है कि इसको हल करना है, इसको देखना है? इन मुद्दों को फोकस करते ही नहीं। गृह मंत्री जी चंडीगढ़ गए थे। इन्होंने अमृतसर दरबार साहब में कहा था कि यह चंडीगढ़ का मसला है या नहीं। इस पर अपनी बात वजाहत करें, स्पष्ट करें?

श्री सभापति: इसमें कोई मान्यता नहीं है। लाजपत राय। ...(व्यवधान)...

श्री एम॰ वैंकैया नायडुः सर, इसको रिकार्ड से निकाल दीजिए, बादल जी चीफ मिनिस्टर है अभी।

श्री सभापतिः ऐसी बात नहीं करना चाहिए(व्यवधान).... रमूवालिया जी बातों को खत्म करना है। ...(व्यवधान)

श्री बलवत सिंह रामुवालियाः मैंने गलत नहीं कहा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपने गलत नहीं कहा है। गलत नहीं कहा है। लाजपत राय। (व्यवधान)....

लाला लाजपत राय: सभापित महोदय, पंजाब और हरियाणा को अलहदा हुए 35 साल हो गए हैं। समय-समय पर दोनों स्टेटों के अन्दर एक ही पार्टी के राज्य रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब दोनों स्टेट अलहदा किए गए तब ये मुद्दे बड़ी आसानी से हल हो सकते थे, फिर इसे क्यों लटकाया गया? आज चंडीगढ़ वाले कुछ बोल रहे हैं, पंजाब वाले दूसरी बोली बोल रहे हैं। आज तक ये मुद्दे लटकते रहे हैं। सौभाग्यवश आज दोनों स्टेटों के अन्दर बी॰ जे॰ पी॰ के साथ मिलकर इनलोद और बी॰ जे॰ पी॰ के साथ मिलकर अकाली दल दोनों सरकार चला रहे हैं। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा, हालांकि इसमें बहुत उलझनें पैदा हो चुकी हैं, प्रेस्टिज का सवाल पैदा हो चुका है, तो भी क्या एक प्रयास इनकी सरकार के द्वारा हो सकेगा ताकि इनको इकट्ठा बैठाकर बात की जाए? हालांकि मुश्कल बहुत है क्योंकि उलझनें बहुत पैदा हो चुकी हैं। पिछली जो-जो सरकारें आई हैं, जिस-जिस पार्टी की आई हैं, उनकी तरफ से बहुत उलझनें पैदा को गई हैं। बिल्कुल प्रेस्टिज के सवाल बन गए हैं, उसूल का सवाल उसमें कम है। तो क्या यह मुद्दा अपनी सरकार के होते हुए सुलझाने की कोशिश की जाएगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, आज का जो सवाल है वह उठा है प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य से। प्रधान मंत्री जी ने हरियाणा और पंजाब में जाकर लिमिटेड वाटर रिसोर्सेस के संदर्भ में एक बयान दिया था। उसी में से यह सवाल उठा है। इसके बाद सरकार की ओर से सदन ने जो राय प्रकट की है कि इस मामले में फैसिलिटेटर का रोल तो है ही लेकिन उससे

आगे बढ़कर मी अगर इसको साँट आउट किया जाता है तो उसकी कोशिश सैन्ट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए, यह मैं स्वीकार करता हूं।

श्री सभापतिः ठीक है। Next question.

- *465. [The questioner (Shri K.C. Kondaiah) was absent. For answer vide page 30 infra.]
- *466. [The questioner (Shri Ramdas Agarwal) was absent. For answer vide page 31 infra.]
- Implementation of the provisons of Jute Packaging Materials (Compulsory use of Packing Commodities) Act, 1987
- *467. SHRI P.K. MAHESHWARI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:
- (a) whether Government have issued any fresh guidelines for implementing the provisions of Jute Packaging Materials (Compulsory use of Packing Commodities) Act, 1987;
 - (b) if so, the details thereof;
- (c) whether Government have received any complaints regarding the violation of provisions made under the said Act;
 - (d) if so, the details thereof; and
- (e) the steps taken by Government to implement the provisions made in the fiscal Act?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHI RAM RANA): (a) to (e) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) The Government has not issued any fresh guidelines for implementing the provisions of Jute Packaging Materials (Compulsory use of Packing Commodities) Act, 1987. However, Government has issued a Notification under section 3 of Jute Packaging Materials (Compulsory use of Packing Commodities) Act, 1987 on 25.10.2000 for the jute year 2000-2001. The notification stipulates 100% foodgrains & Sugar and 20% of urea to be packed in